संचिका संख्या : 6645/4/5/2020

दिनांक : .24.02.2022

प्रस्तुत आवेदन ई–मेल से प्राप्त एक आवेदन जिसमें भागलपुर जिले के एक व्यक्ति के द्वारा उनकी पत्नी से गैंगरेप किये जाने तथा एसिड डालकर जला दिये जाने और उसके ससुराल वाले के द्वारा उसे बंद कर रखे जाने के आरोप के साथ दाखिल किया गया है।

पूर्व में वरीय आरक्षी अधीक्षक भागलपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिस से प्रतीत होता है कि प्राथमिक नामजद अभियुक्त सरोज हरिजन उर्फ गुड्डु को गिरफ्तार किया गया पीड़िता का बयान लिया गया मेडिकल जांच करवाई गई है घटना के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही हैं पीड़िता अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 के तहत वित्तिय सहायता हेतु पत्राचार किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में 09.09.2021 के आदेश के द्वारा जिला पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक भागलपुर को अद्यतन अनुसंधान की स्थिति तथा पीड़िता के **Victim Compensation Scheme** के अंतर्गत और अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तिय सहायता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

जिला अधिकारी भागलपुर का एक प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 50,000/–रुपये मात्र की राशि अंतरिम मुआवजा के रूप में दिये जाने की बात प्रतिवेदित की है।

वरीय आरक्षी अधीक्षक के द्वारा भी पूर्व में दाखिल किये गये प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

परन्तु अनुसंधान की अद्यतन स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दी जाने वाली राशि के भुगतान के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः इस संचिका को राज्य आयोग के अनुसंधान प्रभाग को भेजते हुए उन्हें पीड़िता को धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया गया बयान, काण्ड दैनिकी,की अद्यतन पठनीय प्रति तथा अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है। अनुसंधान प्रभाग को इस संबंध में पीड़िता का बयान प्राप्त करने का भी सूझाव देते हुए 10 सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक   27/06/2022 प्रतिवेदन एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 1277/19

दिनांक : .24.02.2022

प्रस्तुत संचिका जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अपराधकर्मी के मृत्यु हो जाने से संबंधित सूचना प्राप्त कराने के पश्चात, उपरोक्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए संधारित की गई है।

पूर्व में वरीय आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है। जो पृष्ठ (7—8 प0) पर रक्षित है। जिसके आलोक में उन्हें अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। परन्तु उनके द्वारा पूर्व के सदृश का प्रतिवेदन भेजने के कारण संचिका अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग को जांच हेतु भेजते हुए वांछित कागजातों को मांगने का निर्देश दिया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा उन्होंने उसके जब्त हथियार के बैलिस्टिक रिपोर्ट संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग तथा जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को काण्ड में प्रयोग में लाये गये एवम् जब्त हथियारों का बैलिस्टिक रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त कर अगली तिथि तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

दिनांक 27/06/2022 बैलिस्टिक रिपोर्ट तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 5242/18

दिनांक : .24.02.2022

प्रस्तुत संचिका आवेदक के आवेदन पर संधारित की गई थी जिसके द्वारा उन्होंने उनके निलंबन अवधि यथा 29.04.1997 से 22.06.2002 तक नहीं भुगतान किये जाने के आरोप लगाया है उनके द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व पर्षद के द्वारा विभाग द्वारा पारित दण्डादेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए तथा दूसरा कारण पृच्छा जारी नहीं करने के कारण विभाग को पुनः सुनवाई हेतु वापस कर दिया है। जिसके उपरांत विभाग द्वारा उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। परन्तु निलंबन अवधि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

निदेशक मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय का एक अद्यतन प्रतिवेदन सरकार के अवर सचिव के पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई है जिसके द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 29.04.1997 से 22.06.2002 का वेतनादि भुगतान जल संसाधन विभाग के पत्रांक—2143 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा किया जाना प्रतिवेदित किया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर अपना प्रत्युत्तर में आवेदन के द्वारा उन्हें बोनस का भुगतान नहीं किये जाने की बात कही है। जबकि माननीय अध्यक्ष —सह—राजस्व पर्षद को दिये गये आदेश के अनुपालन को बोनस का भुगतान भी किया जाना है।

अतः आवेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर की प्रति निदेशक उर्दू निदेशालय को विचारणार्थ और शीघ्र कार्रवाई हेतु भेजते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 3270/4/26/2021

दिनांक : .24.02.2022

आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन उनके पति के मृत्यु पानी में डुबने से होने की बात कहते हुए तथा आपदा अनुदान का आवंटन होने के बावजूद अंचलाधिकारी द्वारा दूसरे शादी नहीं करने का प्रमाणपत्र देने की बात कहते हुए उपरोक्त राशि का भुगतान अभी तक नहीं किये जाने का आरोप लगाया है।

जिला अधिकारी नालन्दा के पत्र के साथ अंचलाधिकारी नुरसराय का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका के अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान हेतु चेक प्राप्त करने निमित्त दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई। आवेदिका के द्वारा सूचना दी गई कि, वे दिल्ली आई हुए लौटने में 1—2 सप्ताह लग जायेगा। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका सुविधानुसार अनुदान की राशि चेक/RTGS के माध्यम से खाता विवरणी समर्पित कर अपना भुगतान प्राप्त करने हेतु कार्यालय द्वारा उनके वर्तमान पता पर पत्राचार किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदिका को भेजते हुए उन्हें अगली तिथि तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है अन्यथा संचिका में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा सकता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 2057/4/26/2021

दिनांक : .24.02.2022

आवेदक सेवानिवृत भू –मापक अमीन के द्वारा सुनिश्चित वृति उन्नयन एवं रूपांतरित वृति उन्नयन का लाभ नहीं दिये जाने के कारण उन्हें पेंशन तथा अन्य सेवांत लाभों में वित्तिय प्रभाव पड़ने की बात कहते हुए कार्रवाई के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग भागलपुर का एक अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के स्वीकृति हेतु गठित प्रक्षेत्र स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि के बैठक में कमिटि के द्वारा अनुशंसा के आलोक में आवेदक के अनुमान्य ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के आदेश निर्गत किये जाने की बात कहते हुए परिवादी के पत्र में उठाये गये परिवाद को संचिकास्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ देते हुए पत्र निर्गत किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है अन्यथा संचिका में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा सकता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 671/4/5/2021

दिनांक : .24.02.2022

प्रस्तुत संचिका आवेदक के द्वारा दाखिल किये गये आवेदन के आधार पर संधारित की गई थी जिसके द्वारा भागलपुर के पीरपैंती सड़क मार्ग पर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा अवैध रूप से उच्च क्षमता वाले वाहनों का परिचालन करवाये जाने की बात कहते हुए यह कहा गया है उसके कारण सड़क मार्ग में गढ्ढे में तबदील हो गया है। पैदल चलना भी मुश्किल है और दुर्घाटना के संभावना बनी रहती है। इस तरह से यह अनुरोध किया गया है कि या तो उपरोक्त सड़क को उच्च क्षमता वाले भारी वाहन के परिचालन को बंद करवा दिया जाय या मजबूती से निर्माण किया जाय।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह कहा गया है किइस संबंध में पूर्व में आम जनों से प्राप्त सूचना पर इस कार्यालय के माध्यम से खनन पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, अवर प्रवर्त्तन निरीक्षक, भागलपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव के ओवरलोडेड वाहनों एवं उनके परिचालन पर रोक थाम हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है और उक्त पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों की गई कार्रवाई में पूर्णतः सहायता की जाता है। जिलाधिकारी भागलपुर के पत्र के साथ कार्यापालक राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल खनिज विकास पदाधिकारी भागलपुर जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक भागलपुर का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग के द्वारा यह सूचित किया गया कि पथ प्रमंडल नई दिल्ली द्वारा जीरोमाईल से मिर्जाचौकी तक 10 मीटर PCC से ढलाई वाला पथ निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी राशि 566.15 करोड़ है। साथ ही RCC नाली निर्माण पुल पुलिया निर्माण का प्रावधान किया है निविदा प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था जो अभी अप्राप्त है।

अतः आवेदक को पुनः एक अवसर देते हुए अगली तिथि तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। चूंकि पूर्व के प्रतिवेदन अप्रैल 2021 में दिया गया है। जिसमें निविदा की बात कही गई है। अतः जिलाधिकारी भागलपुर से उपरोक्त सड़क निर्माण के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन अगली तिथि तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 24/06/2022 प्रतिवेदन एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 6541/4/5/2020

दिनांक : .24.02.2022

प्रस्तुत संचिका आवेदक से प्राप्त ई–मेल से प्राप्त एक आवेदन के आधार पर संधारित की गई थी जिसके द्वारा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में एक युवती के मृत्यु होने के आरोप लगाया गया था और साथ ही साथ 7 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था। पूर्व में जिला पदाधिकारी भागलपुर के पत्र के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा आवेदक के कथन को गलत बताया गया था परन्तु ईलाज से संबंधित विस्तृत विवरणी नहीं भेजी गई थी अतः जिला पदाधिकारी भागलपुर अधीक्षक जवाहर लाला नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ईलाज के विस्तृत विवरणी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त आदेश के आलोक में अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय प्राप्त होने के उपरांत संचिका को अपर पुलिस महानिदेशक एवं राज्य आयोग के टीम गठित करते हुए कागजातों के विश्लेषण कर एक विस्तृत प्रतिवेदन अगली तिथि तक समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने यह भी निर्देश दिया गया था कि अगर वे उचित समझे तो आवेदक तथा अन्य को सुनने का मौका दे सकते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राज्य आयोग के संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल भागलपुर गठित त्रिसदस्य समिति का प्रतिवेदन के अवलोकन कर तथा अनुमंडल पदाधिकारी जांच प्रतिवेदन के अवलोकन करते हुए आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा सुनवाई से मुक्त करने के अनुरोध किया गया। संयुक्त समिति ने त्रिसदस्य जांच समिति के द्वारा दिये गये अभिमत ' माया कुमारी की मृत्यु ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में नहीं हुई है न ही उन्हें ईलाज में कोताही बरती गई है। अतः लगाये गये आरोप निराधार एवं तथ्य से परे है।'

साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन जिसके द्वारा यह पाया गया है कि 'जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल भागलपुर के आई0सी0यू0 में ऑक्सीजन की व्यवस्था तीन तरह से की गई है'। पहली व्यवस्था ऑक्सीजन प्लांट से पाईप द्वारा, दूसरी व्यवस्था ऑक्सीजन कन्संट्रेटर तथा तीसरी व्यवस्था ऑक्सीजन सिलिण्डर द्वारा की गई है। सामान्यतः ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई की जाने वाली व्यवस्था से ही मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाता है और ऑक्सीजन कन्संट्रेटर तथा ऑक्सीजन सिलिण्डर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रखे जाते हैं, जिसका उपयोग विपरित स्थिति में किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में परिवादी का प्रथम आरोप ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज की मृत्यु हुई है आधारहीन प्रतीत होता है।

यह अग्रतर उल्लेख किया गया है कि मरीज की स्थिति को देखते हुए संबंधित चिकित्सक द्वारा शीघ्र कार्रवाई की गई, परन्तु मृतिका को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि वे अत्यंत बीमार थी। केस शीट के प्रथम

शीट पर श्री सुनील कुमार मृतक माया देवी के परिजन द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि 'मेरे मरीज की हालत खराब है, हमको इसके बारे में बता दिया गया है। इसके बावजूद हम ईलाज कराने की अनुमति देते है।

तद्नुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में तथा जांच उपरांत संयुक्त समिति ने अपने निष्कर्ष में यह पाया है' इस बात को मृतक काफी गंभीर अवस्था में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर में भर्ती की गई थी। जिससे उनके परिजन पूरी तरह अवगत थे। उक्त आशय की टिप्पणी मृतक के परिजन के द्वारा मृतक के शरीर के प्रथम पृष्ठ पर भी अंकित किया गया है। मृतक माया देवी को भर्ती होने के उपरांत एच0डी0यू0 में भर्ती कर समुचित ईलाज प्रारम्भ किया गया। जहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी तथा ऑक्सीजन सिलिण्डर की आवश्यकता नहीं थी। ईलाज के क्रम में उसी दिन दिनांक 18.12.2020 को ही समय 11:45 बजे माया देवी की मृत्यु हो गई। जिसके लिये जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर को चिकित्सकों को दोषी मान लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

जांच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक को उपस्थित होकर अपने बात कहने का अनुरोध किया गया था परन्तु उनके द्वारा उन्हें सुनवाई से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। जांच प्रतिवेदन से तथा अन्य प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है मरीज की स्थिति भर्ती वक्त ही काफी गंभीर थी जिसके जानकारी उनके परिजन को दे दी गई थी। जिसके विवरण **BHT** पर भी है। भर्ती पश्चात **Anasthetist** डॉ सुजीत कुमार ने उनके अवलोकन में पाया गया कि मरीज को पहले से ही **Endotracheal Tube** लगा हुआ है एवं **Brain Circuit** द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से ऑक्सीजन प्रदान किया जा रहा था।

मरीज की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एच0डी0यू0 में शिफ्त किया गया था जहाँ **Central Oxygen Gas Pipe Line** की सुविधा थी एवं **Brain Circuit** को ऑक्सीजन सिलेंडर से हटाकर अविलम्ब **Central Oxygen Gas Pipe Line** से जोड़ा गया। क्यों एच0डी0यू0 में **Central Oxygen Gas Pipe Line** के कारण ऑक्सीजन सिलेण्डर का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मृतक मरीज के सहायता दिलाने हेतु उपलब्ध कराई गई। उनकी स्थिति से पहले से ही गंभीर थी। इसमें जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों को कोई दोष नहीं है और आवेदक का ऑक्सीजन सिलेंण्डर उपलब्ध न कराये जाने का आरोप भी उपरोक्त के संदर्भ में औचित्यहीन है।

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, इस आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 5100/4/5/2021

दिनांक : .24.02.2022

आवेदक के द्वारा यह कहते हुए रोगी कल्याण समिति, बिहार सरकार द्वारा चयनित कर्मी तथा डाटा ऑपरेटरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तथा न्यायोचित अधिकार से वंचित किया जा रहा है उनका भुगतान भी रोककर रखा गया है का आरोप लगाते हुए आवेदन दाखिल किया गया है।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह– सदस्य सचिव भागलपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के पत्रांकः 1187, दिनांक 03.06.2020 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार राज्य/जिला अन्तर्गत कार्यरत सभी डाटा सेन्टर ऑपरेटर/**Data Management Unit (DMU)** के द्वारा राज्य स्तर से प्राधिकृत सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा प्रतिनियोजन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य लिये जाने का निर्णय राज्य स्तर से लिया गया है, उक्त लिये गये निर्णय/निर्देश के आलोक में कार्यालय पत्रांक–888, दिनांक 31.07.2020 द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किया गया कि सभी डाटा सेन्टर ऑपरेटर राज्य स्तर से चयनित/प्राधिकृत सेवा प्रदाता एजेंसी **M/S Urmila International Service Pvt. Ltd** से नियोजित हाने के उपरान्त ही उनके द्वारा कार्य लिया जाना सुनिश्चित करेंगे उक्त सभी **Data Management Unit (DMU)** का भुगतान राज्य स्तर से सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ही किया जाना है। (छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न)

यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इसी क्रम में आर0के0एस0 डाटा सेन्टर ऑपरेटर द्वारा माननीय उच्च्य न्यायलय में याचिका **CWJC No. 7250/2020** दायर किया गया उक्त वाद के पारित आदेश के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–356, दिनांक 26.04.2021 द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि सभी डाटा सेन्टर ऑपरेटर अपना नियोजन संबंधित दावा सीधे **M/S Urmila International Service Pvt. Ltd** समक्ष प्रस्तुत तथा नियोजन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कर पायेंगे आलोक में कार्यालय पत्रांक–556, दिनांक 09.05.21 द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया की आर0के0एस0/जिला डाटा सेन्टर ऑपरेंटर द्वरा प्रतिनियोजित डाटा सेन्टर ऑपरेटर को निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप **M/S Urmila International Service Pvt. Ltd** से अपना नियोजन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य लेने सुनिश्चित करेंगे। (छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न) तदोपरान्त जिलाअन्तर्गत पूर्व में सभी जिला/आर0के0एस0 अन्तर्गत कार्यरत डाटा सेन्टर ऑपरेटर द्वारा राज्य स्तर से प्राधिकृत उक्त सेवा प्रदाता एजेंसी से नियोजन प्राप्त कर माह अगस्त–2021 से स्वास्थ्य संस्थान में कार्य किया जा रहा है तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना अन्तर्गत कार्यरत अन्य डाटा सेन्टर ऑपरेटर क अनुरूप ही राज्य स्तर से ही उक्त सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जिला/आर0के0एस0 डाटा सेन्टर ऑपरेटर का भी मानदेय आदि का अद्यतन भुगतान एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। चूंकि पूर्व से कार्यरत सभी डाटा सेन्टर ऑपरेटर के माह

अक्टूबर–2020 से ही मानदेय आदि का भुगतान प्राधिकृत सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा राज्य स्तर से ही किया जा रहा है के क्रम में उक्त सभी संबंधित डाटा सेन्टर ऑपेटर के लंबित मानदेय भुगतान हेतु जिला स्तर पर बजट/दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्रांक–249, दिनांक –20.02.2021, पत्रांक–808, दिनांक–05.07.21, पत्रांक–1221, दिनांक–30.09.21, कार्यालय पत्रांक–1628, दिनांक–24.11.2021 तथा पुनः कार्यालय पत्रांक–65, दिनांक–13.01.2022 द्वारा बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध/स्मार किया गया है (छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न), राज्य स्तर से बजट उपलब्ध होते ही संबंधित डाटा सेन्टर ऑपरेटर के लंबित मानदेय/किराया का भुगतान भी कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि आवेदक देवाशीष पाण्डेय पूर्व में आर0के0एस0 डाटा सेन्टर ऑपरेटर के नियमानुसार केवल अधिकतम दो माह का ही मानदेय भुगतान लंबित है, जो बजट प्राप्त हाने के उपरान्त पूर्ण करा दिया जाएगा।

यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा शेष लगाये गये सभी आरोप का तथ्यहीन है एवं अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से संबंधित नहीं है।

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सभी डाटा सेंटर ऑपरेटर को अपने नियोजन संबंधि दावें **M/S Urmila Internation Service Pvt Ltd.** को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जिसके विरोध पूर्व के डाटा सेंटर ऑपरेटर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की गई है जबकि उक्त बाद में पारित आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति बिहार पटना का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी डाटा सेंटर ऑपरेटर को अपने नियोजन संबंधि दावे **M/S Urmila Internation Service Pvt Ltd.** को प्रस्तुत करे। यथा यह प्रतीत होता है कि सरकार के नीतिगत निर्णय के अंतर्गत उपरोक्त कार्रवाई की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक –सह सदस्य सचिव का आवेदक का जो भी भुगतान देय है उसे शीघ्र भुगतान करने की अनुशंसा के साथ इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 1739/4/39/2019

दिनांक : .24.02.2022

प्रस्तुत आवेदन आवेदिका के द्वारा उनके पुत्री के अपहरण को लेकर कार्रवाई के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया है।

पूर्व में समय–समय पर आरक्षी अधीक्षक वैशाली के द्वारा प्रतिवेदन पर कराया गया है साथ ही दिनांक 25.11.2021 के आदेश के द्वारा संचिका को राज्य आयोग के अनुसंधान प्रभाग को भेजते हुए काण्ड दैनिकी तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त है।

संयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस संबंध में हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या– 928/19दिनांक 15.10.2019 धारा 366(ए) भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस कांड के नामजद अभियुक्त सतीश कुमार वादिनी उर्मिला देवी के बहन के दमाद के भाई है। संयुक्त जांच समिति ने आरक्षी अधीक्षक वैशाली से प्राप्त प्रतिवेदनों द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हाजीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत अपने निष्कर्ष में यह कहा है कि ' अवलोकन कराये गये परिवादिनी श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा अपने परिवाद पत्र में पुलिस अथवा अन्य किसी के विरुद्ध उनके मानवाधिकार उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। परिवादिनी के नाबालिग पुत्री निशा कुमारी को अपहृत करने से संबंधि तमामले के संबंध में परिवादिनी श्रीमती उर्मिला देवी के लिखित बयान पर हाजीपुर नगर थाना संख्या–928/19 प्रतिवेदित किया गया, जो अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 से नामजद अभियुक्त सतीश कुमार, जो अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं विशेष प्रतिवेदन से प्राथमिकी अभियुक्त सतीश कुमार के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई की गई प्रतीत होती है।

जांच प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, हाजीपुर द्वारा दिये गये बयान के अनुसार कांड की अपहृता निशा कुमारी की बरामदगी दिनांक– 15.02.2022 को प्रातः हो चुकी है तथा बरामदगी पश्चात् उनका 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में बयान दर्ज कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है तथा यह कांड अब मात्र नामजद अभियुक्त सतीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु लंबित है। अतएव यदि मान्य हो तो पुलिस अधीक्षक, वैशाली को एक माह के अन्दर कांड के एकमात्र नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराते हुए कांड का अनुसंधान पूर्ण कराकर अनुपालन प्रतिवेदन से आयोग कार्यालय को अवगल कराने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरक्षी अधीक्षक वैशाली के अभियुक्त के गिरफ्तारी एवं अपहृता के बयान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कराते हुए तथा अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कराकर तीन माह के भीतर अपना प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

<u>संचिका संख्या : 2673/18</u>

<u>दिनांक : .24.02.2022</u>

प्रस्तुत संचिका दिनांक 08.11.2021 के विस्तृत आदेश के द्वारा जिला अधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक खगडिया से चार बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतः दिनांक 08.11.2021 को आदेश की प्रति जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक खगड़िया को भेजते हुए उपरोक्त पृच्छाओं के संबंध में प्रतिवेदन अगली तिथि तक समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

संचिका 2018 से लंबित है। अतः किसी वरीय पदाधिकारी के साथ उपरोक्त प्रतिवेदन उपलब्ध अगली तिथि तक समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 27/06/2022 प्रतिवेदन एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 2709/4/8/2021

दिनांक : .24.02.2022

आवेदक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर ऑफलाईन आवेदन जमा करने की बात कहते हुए तीन वर्ष के उपरांत भी छात्रवृत्ति नहीं जारी करने का यह आवेदन दाखिल किया गया है।

जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण के पत्र के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण का प्रतिवेदन प्राप्त हैं जिसके द्वारा विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2016–17 अनु0जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान राज्य के बाहर एवं स्थानीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर देय है। राज्य से बाहर छात्र/छात्राओं के जांच हेतु विभाग द्वारा गठित टीम नं0– 40 से श्री अशोक कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया एवं श्री अवधेश मणि तिवारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को छात्र– शशिकान्त गौतम के शिक्षण संस्थान **Tata Institute Of Social Sciences Hyderabad Institute, Rangga Reddy Telangana** जाँच हेतु भेजी गई थी उक्त संस्थान का जाँच प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इस सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक– 651 दिनांक–30.11.2019, पत्रांक–375 दिनांक–18.12.2020, पत्रांक–70 दिनांक–08.02.2021 एवं पत्रांक–356 दिनांक–12.08.2021 के द्वारा, जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को पत्र भेजा गया है परन्तु अभी तक वांछित जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। संस्थान का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उक्त छात्र–कुमार शशिकान्त गौतम को वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान नहीं किया जा सका है।

अतएव टीम नं0– 40 से **Tata Institute Of Social Sciences Hyderabad Institute, Rangga Reddy Telangana** का वांछित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उक्त छात्र के छात्रवृति की राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए दिनांक 17.11.2021 के आदेश के द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर दिया गया था परन्तु प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

अतः प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों के आलोक में जिस से प्रतीत होता है कि आवेदक के संस्थान के संबंध में जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

<u>संचिका संख्या : 2308/18</u>

<u>दिनांक : .24.02.2022</u>

आवेदिका ने उनके पति को निलंबन आदेश को वापस लेने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया है।

अतः अपने प्रत्युत्तर में यह कहा गया है कि विभागीय कार्रवाई में उन्हें दोषी नहीं पाया गया है।

आवेदन तथा प्रत्युत्तर के संबंध में जिला पदाधिकारी गया के पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी गया के प्रतिवेदन के साथ संलग्न करते हुए प्राप्त है। जिसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवेदिका के पति को विभागीय कार्रवाई एवं निलबंन से मुक्त कर दिया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर आवेदिका से प्राप्त प्रत्युत्तर में भी उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया है। यह कहा गया है कि उन्हें अभी कोई शिकायत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस आवेदन पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson